न्यायालय:—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुड़ोपा)

<u>दां0प्रक0क0-481/08</u> <u>संस्थित दि0 12/12/08</u> फाईलनं0 2332504000022008

मध्य प्रदेश शासन द्धारा आरक्षी केन्द्र, थाना बोरदेही, जिला बैतूल (म०प्र०)

____अभियोजन.

-: <u>विरूद्ध</u>:-

दिनेश पिता किशोरीलाल, उम्र 40 वर्ष, जाति मेहरा, पेशा डायवर, नि0 पाथाखेड़ा, थाना सारणी, जिला बैतूल (म0प्र0),

<u>----अभियुक्त.</u>

<u>—: निर्णय :—</u> (<u>आज दिनांक—29 / 08 / 2016 को घोषित)</u>

- 1— अभियुक्त दिनेश के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा 304 ''ए'' के तहत् अभियोग है कि दिनांक 17/10/08 को 11:45 बजे मुकाम ब्राम्हणवाड़ा तथा बम्हणी पंखा के बीच मगरया पवार के खेत के पास रोड पर, थाना बोरदेही जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत उक्त वाहन एम.पी. 05 ए—8094 का चालक होते हुये उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से संचालित कर छन्नु उर्फ गोधन को टक्कर मारकर ऐसी मृत्यु कारित की जो मानव वद्य की कोटि में नहीं आती।
- 2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम ब्राम्हणवाडा रहता है। खेती करता है। करीब 12 बजे के पहले वह तथा उमेश साहू खेडली बाजार से उसके घर ब्राम्हणवाडा जा रहे थे कि बम्हणी पंखा के आगे मंगरया पवार के खेत के पास रोड पर पीले रंग का डम्फर कं. एम.पी. 05/ए—8094 के एक्सीडेंट में एक लडका रोड पर मरा पडा था पास से देखा तो वह पड़ोसी गांव का निकला नाम अन्नू उर्फ गोधन था। जिसके सिर एवं बदन में आई चोटों से खून निकल रहा था। और इ उसकी मोटर साईकिल होण्डा कं. एम.पी. 28/एम.बी.—2781 डम्फर के अगले दांहिने चके के नीचे दबी है। डम्फर का हेल्पर कृष्णा जो कि उसके गांव का है ने बताया कि डायवर दिनेश पाटिल पाथाखेडा का चंदोरा डामर प्लांट से डामर भरकर तेज रफ्तार से चलाकर ले जाने के कारण मोटर साईकिल वाले का एक्सीडेंट कुछ ही देर पहले

ही हुआ है रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जावे।

3— फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 15 तैयार किया है। जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 223/08 के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 304 "ए" का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। देहाती मर्ग इंटीमेशन प्र0पी0 1 तैयार किया गया। देहाती नालसी प्र0पी0 2 तैयार किया गया। मर्ग इन्टीमेशन तैयार किया गया। दिनांक 17/10/08 को सम्पत्ति पत्रक प्र0पी0 3 तैयार किया गया। दिनांक 17/10/08, 18/10/08, को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 4, प्र0पी0 10 तैयार किया गया। मृत्यु जांच पंचायतनामा प्र0पी0 06 तैयार किया गया, नक्शा पंचायतनामा प्र0पी0 प्र0पी0 7 तैयार किया गया। शव प्रतिवेदन तैयार किया गया। नुकसानी पंचनामा प्र0पी0 05 तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफतारी पंचनामा प्र0पी0 11 बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4— अभियुक्त के विरूद्ध धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहां कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

1— "आपने दिनांक 17/10/08 को 11:45 बजे मुकाम ब्राम्हणवाड़ा तथा बम्हणी पंखा के बीच मगरया पवार के खेत के पास रोड पर, थाना बोरदेही जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत उक्त वाहन एम.पी. 05 ए—8094 का चालक होते हुये उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से संचालित कर छन्नु उर्फ गोधन को टक्कर मारकर ऐसी मृत्यु कारित की जो मानव वद्य की कोटि में नहीं आती ?"

-: <u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>:-विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण

6— अभियोजन साक्षी श्रावण (अ०सा०1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घाटना के समय वह खेडली बाजार से अपने घर ब्राम्हणवाड़ा जा रहा था तो उसने देखा कि पीपल के पेड के पास बहुत सारी भीड़ थी। धन्नू घटना स्थल पर मरा पड़ा था। उसने मृतक की चोटों को नहीं देखा था। घटना स्थल पर एक द्रक खड़ा था जिसका नं० उसे याद नहीं है। उसे किसी व्यक्ति ने यह नहीं बताया कि घटना किसकी गलती से हुयी तथा एक्सीडेंट हुआ था घटना स्थल पर पुलिस आई थी, उसने घटना स्थल पर मर्ग इन्टीमेंशन लेख करवाया था जो प्र०पी०—1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। मौके पर ही पुलिस ने देहाती नालसी, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०—2 लेख

की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

7— आगे इस गवाह ने बताया कि पुलिस घटना का नक्शा मौका प्र0पी0—3 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जप्ती पत्रक प्र0पी0—4 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। नुकशानी पंचनामा प्र0पी0—5 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसे नक्शा पंचायतनामा तैयार करने के लिए उपस्थित हेतु कोई नोटिश नहीं दिया था सफीना फार्म प्र0पी0—6 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। नक्शा पंचायतनामा प्र0पी0—7 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इस गवाह ने सूचक प्रश्नों से घटना का समर्थन नहीं किया है जबिक इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने पुलिस के कहने पर कोरे कागज पर हस्ताक्षर किये थे। अर्थात इस गवाह ने घटना नहीं देखी है इस गवाह ने घटना की कोई जानकारी नहीं है। और इस प्रकार इस गवावह ने घटना का समर्थन नहीं किया है।

8— अभियोजन साक्षी नानू (अ०सा०२) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय वह अपने घर पर था। वह घटना की खबर सुनकर घटना स्थल पर पहुंचा उसका लड़का गोधन घटना स्थल पर मरा पड़ा था। घटना के पहले मोटर बांधने मोटर सायकल से गया था। मोटर सायकल का नम्बर उसे याद नहीं है। घटना स्थल पर पीले रंग की गिट्टी भरी वाली खड़ी थी उसके लड़के की गाडी पिचकी हुयी थी। घटना स्थल पर पड़ी हुयी थी उसे उस समय डम्फर चलाने वाले का नाम बताया था कि कितु उसे नाम याद नहीं है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि उसने घटना की जानकारी टेलीफोन पर मिली थी। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि मृत्यू के बाद घटना स्थल पर पहुँचा था। अर्थात दुर्घटना कैसे हुई और उसकी मृत्य कैसे हुई, उसे नहीं मालूम। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में किए गए स्वीकृत तथ्यों के कारण यह स्पष्ट होता है कि इस गवाह ने घटना होते हुये नहीं देखा है और इस गवाह को घटना के संबंध में कोई जानकारी है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य ने अभियोजन साक्ष्य का समर्थन नहीं किया है।

9— अभियोजन साक्षी गुरमित सिंह (अ०सा०३), अभियोजन साक्षी कुष्णा (अ०सा०४), अभियोजन साक्षी धनराज (अ०सा०५), अभियोजन साक्षी उमेश साहू (अ०सा०६), अभियोजन साक्षी साबिर शाह (अ०सा०६) ने अपनी मुख्य परीक्षा एवं सूचक प्रश्नों से घटना का समर्थन नहीं किया है।

10— अभियोजन साक्षी फुलवन्तीबाई (अ०सा०७) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय उसकी बेटी छोटी होने के कारण वह उसके मायके में थी। उसे लोगों ने सूचना दिये कि उसके पित का एक्सीडेंट हो गया है, तो वह खबर सुनकर घटना स्थल पर पहुंची, वहां उसने देखा कि घटना स्थल पर उसके पित की लाश पड़ी थी। लोगों से पूछने पर बताया कि डम्फर और मोटर सायकल की टक्कर हो गयी है जिससे उसके पित की मृत्यु हो गई है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 03 में

ंस्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुये नहीं देखी। आगे यह भी स्वीकार किया है कि दुर्घटना कैसे हुई, उसे नहीं मालूम। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा प्रतिपरीक्षा में दिए गए स्वीकृत तथ्यों से स्पष्ट होता है ताकि इस गवाह ने घटना होते हुये नहीं देखा और इसे घटना की जानकारी नहीं है। इस प्रकार इस गवाह ने घटना का समर्थन नहीं किया है।

- 11— अभियोजन साक्षी रामचरण खातरकर (अ०सा०१) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह दिनांक 17/10/2008 को थाना बोरदेही में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक 17.10.2008 को राजेश कं0 343 ने एक देहाती नालशी एवं देहाती मर्ग इंटीमेशन लाकर पेश किया जो उसके द्वारा असल नं0—223/08 भादवि० एवं असल नं0—52/08 धारा जप्त फौजदारी कायम किया गया इस गवाह के द्वारा प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया गया है कि देहाती नालसी के आधार पर प्र0पी० 15 की रिपोर्ट एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई है, इसके अलावा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। यह गवाह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। इस गवाह ने घटना होते हुये नहीं देखा है। घटना के स्वतंत्र गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में इस गवाह के द्वारा लिखी गई प्र0पी० 15 की रिपोर्ट महत्वहीन हो जाती है।
- 12— अभियोजन साक्षी मदन पंवार (अ०सा०१०) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि देहाती नालसी प्र०पी०—2 लेख किया था जिसके ई से ई भागों पर उसके हस्ताक्षर है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर देहाती मर्ग दिपोर्ट प्र०पी०—1 लेख किया था जिसके ई से ई भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने मौके पर ही मौका नक्शा प्र०पी०—3 तैयार किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने मौके पर घटना स्थल से गवाहों के समक्ष पीले रंग का डम्फर जिसका कं0—एम०पी० ०५ ए ८०९४ था जप्त कर जप्ती पत्रक प्र०पी०—4 तैयार किया था जिसके सी से सी भागों पर उसके हस्ताक्षर है। उसी समय उसने मोटर सायकल का नुकशानी पंचनामा प्र०पी०—5 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसकी मोटर सायकल 15 हजार रूपये की नुकसानी होना पाया था। उसी दिनांक को साक्षियों को नक्शा पंचायतनामा हेतु सफीना फार्म प्र०पी०—6 जारी किया जिसके सी से सी भाग पर पर उसके हस्ताक्षर है।
- 13— आगे इस गवाह ने बताया है कि उसने गवाहों के समक्ष मृतक धन्नू की लाश का नक्शा पंचायतनामा प्र0पी0—7 तैयार किया था जिसके सी से सी भागों पर उसके हस्ताक्षर है। उसने दिनांक 18/10/08 को गवाह गुरूमित एवं अर्जुनसिंह के समक्ष डम्फर कं0 एम0पी0 05 ए 8094 का रिजस्ट्रेशन कार्ड इंशोरेन्स फिटनेश टैक्स रसीद आरोपी द्वारा पेश करने पर जप्त कर जप्ती प्र0पी0—10 तैयार किया था जिसके बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं उसने उसी दिनांक को उन्हीं गवाहों के समक्ष गिरफतारी पंचनामा प्र0पी0—11 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने विवेचना के दौरान प्रार्थी श्रावण गवाह गेंदलाल, नान्हू फूलवन्तीबाई, कृष्णा, उमेश, आशाराम के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था जिसमें अपने मन से कुछ जोड़ा या छोड़ा नहीं था। यह गवाह विवेचना अधिकारी है। घटना का

प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। इस गवाह ने घटना होते हुये नही देखा है। घटना के स्वतंत्र गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विवेचना अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही महत्वहीन हो जाती है।

- 14— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से संचालित कर छन्नु उर्फ गोधन को टक्कर मारकर ऐसी मृत्यु कारित की जो मानव वद्य की कोटि में नहीं आती। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 1 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।
- 15— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से संचालित कर छन्नु उर्फ गोधन को टक्कर मारकर ऐसी मृत्यु कारित की जो मानव वद्य की कोटि में नहीं आती। इस प्रकार अभियुक्त दिनेश भा0द0वि0 की धारा—304 "ए" के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 16— प्रकरण में आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते है। धारा 428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।
- 17— प्रकरण में जप्तशुदा मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 05 ए 8094 पूर्व से आवेदक / सुपुर्दार आशाराम पिता शेरूराम की सुपुर्दगी में है। उक्त वाहन के संबंध में किसी अन्य ने दावा नहीं किया है। अतः सुपुर्दनामा आदेश निरस्त किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैत्तल म०प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला, जिला बैतूल म०प्र0